बिन्दु सं०-1 एवं 2 का उत्तर

प्राप्ति सं०...733
फाईल सं०....18mg
दिनांक 25-2-19

आदेश

उपजिलाधिकारी धारी के पत्र संख्या 226/अहलमद–सांख्या/2019 दिनांक 07फरवरी, 2019 के कम में जिनौली–तड़ी–सकदीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूड़ीगाड़ के नॉन0ज्येड0ए0खाता नं0 30 के खसरा नं0 1799 व 2174/3447 मध्ये रकवा 3.255 है0 गौर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उक्त कम में सचिव राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 111/XXViii(7) 50(39)2015/ 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 में यह भी उल्लेख किया गया है जिन योजनाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और उनका कियान्वयन भूमि की अनुल्ध्बता के कारण नही हो पा रहा है उन परियोजनाओं/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (प्रशासकीय विभाग की भूमि को छोड़कर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2002 में निहित शर्तो के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

अतः शासनादेश संख्या 111/XXViii(7) 50(39)2015/ 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 50(39)2015/ दिनांक 30.07.2015 एवं उपजिलाधिकारी, धारी के पत्र संख्या 226/अहलमद–आख्या/2019 दिनांक 07,फरवरी, 2019 के कम में जिनौली–तड़ी–सकदीना तक मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़ के नॉन ज्येड0ए0खाता नं0 30 के खसरा नं0 1799 व 2174/3447 मध्ये रकवा 3.255 है0 गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) ड़ भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार आदेश का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो।

ह0/–
(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी,नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्रॉक 1762/12–ज्येड0ए0सी0/2019, दिनॉक 21 फरवरी,2019

प्रतिलिपिः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
2– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार धारी को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आदेश का अंकन करने के उपरान्त खतौनी की प्रति याचक विभाग को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अगत कराने का कष्ट करें।

R.No 733/18mg दि 28-2-19
AE II/Ameen
26/02/19

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
नि0 खं0,लो0नि0वि0, नैनीताल

O/c

उद्धरण — खतौनी N.Z.A

ग्राम - पुरगांव पट्टी - छखाता परगना छखाता तहसील धारी जिला नैनीताल सं० फसली से सं० फसली तक

खातेदार का नाम व पिता का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकारी आरम्भ होने का वर्ष	खाते की प्रत्येक गाटे की खसरा सँख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश, उनकी सँख्या तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी जो रजिस्टार कानूनगो द्वारा साक्षीकृत हुये — सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	सं० फसली	विवरण
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
श्रेणी	9(3)	ड.	अन्य	कृषि	योग्य बंजर भूमि -						
बंजर		22	0.015		आदेश - कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 1762/12-ज्येड रु० सी०/2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुसार शासनादेश संख्या III/XXVIII(7)50(39)2015/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश सं० 1007/XVIII(II)50(39)2015 दिनांक 30/7/2015 एवं उपजिलाधिकारी धारी के पत्र संख्या 226/ अहलमद- आदेश/2019 दिनांक 07 फरवरी 2019 के क्रम में जिनौली-तडी लकड़ीना तक मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुरगांव पट्टी-छखाता के नाम ज्येड (खाता) नं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3447 मध्ये रकबा 3.255 हे० गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3)ड. भूमि को क्षति स्वरूप वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाता है। ह० र०का० दिनांक 24/04/19 ह० अहलमद 24/04/19 RSI छखाता						
		24	0.003								
		27	0.010								
		32	0.030								
		/	/								
		1799	7.355								
		2174/3447	4.329								
		/	/								
		507/3458	0.050								
		2989/3459	0.004								
	योग	328/1	76.110								

नोट - मुताबिक असल के अंश नकल कर तैयार किया